भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3

02 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि और अनुषंगी स्टार्ट अप्स के लिए निधियां

3. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री मनोज तिवारीः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री संजय सदाशिवराज मांडलिकः

श्री चंद्र शेखर साहूः

श्री बिदयुत बरन महतोः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश के कृषि और अनुषंगी क्षेत्रों में स्टार्ट अप्स के लिए निधियां प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न स्टार्ट अप्स के लिए निधियों के आवंटन के लिए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में अब तक कृषि स्टार्ट अप्स में क्या प्रगति हुई है;

(घ) कृषि क्षेत्र के स्टार्ट अप्स किस सीमा तक इस क्षेत्र को बढ़ावा देंगे और देश के किसानों का उत्थान करेंगे; और

(ङ) वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के आविष्कार और कृषि उद्यमिता घटक के अंतर्गत आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वित्तीय सहायता प्रदान करके और इन्क्यूबेशन पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करके नवाचार और कृषि-उद्यमियता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई-रफ्तार) के तहत "नवाचार एवं कृषि-उद्यमियता विकास" नामक नए घटक की शुरूआत की है।

(ख) इस कार्यक्रम के तहत बीज चरण के लिए प्रत्येक चयनित स्टार्टअप 25.00 लाख रूपए की अधिकतम वित्तीय सहायता के लिए तथा योजना/पूर्व-बीज चरण के तहत 5.00 लाख रूपए की अधिकतम वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।

(ग) कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के 452 स्टार्टअप को किस्तों में 48.08 करोड़ रूपए की धनराशि के वित्तपोषण के लिए चुना गया है और इन चयनित स्टार्टअप के वित्त पोषण हेतु संबंधित ज्ञान साझेदारों (केपी) और आरकेवीवाई कृषि व्यवसाय इन्क्यूबेटरों (आरकेबीआई) को 20.90 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं। देशभर में फैले ज्ञान साझेदारों और कृषि व्यवसाय इन्क्यूबेटरों जैसे विभिन्न कृषि व्यवसाय इन्क्यूबेशन केन्द्रों में इन स्टार्टअप को 2 महीनों के लिए प्रशिक्षण दिया गया है।

(घ) इस कार्यक्रम के तहत, स्टार्टअप कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवाचारी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा ये स्टार्टअप किसानों को अवसर देकर उनकी आय में वृद्धि करने में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देंगे।

(ड.) वर्ष 2020-21 के दौरान आरकेवीवाई के अन्य प्रशासनिक खर्च सहित इस नवाचार एवं कृषि उद्यमियता कार्यक्रम के तहत कुल 119.40 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है।

*****